उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1

संख्या:-16/2021/953/94-1-2021-312(83)/2015-लोनी-2

लखनऊ, दिनांक : 08 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 5 एवं 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस निमित्त जारी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से;-

(1) नीचे अनुसूची में दिए गये राजस्व ग्रामों के क्षेत्रों को अपवर्जित करके जिला गाजियाबाद के निबंधन उप जिला सदर तृतीय, चतुर्थ और पंचम की सीमाओं में परिवर्तन करती हैं; तथा

(2) उक्त अनुसूची में दिये गये तत्कालीन राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करके जिला गाजियाबाद में एक नव निबंधन उप जिला लोनी द्वितीय सृजित करती हैं।

अनुसूची

जिला गाजियाबाद के निबंधन उप-जिला सदर तृतीय, चतुर्थ और पंचम से अपवर्जित किये गये तथा जिला गाजियाबाद के नवसृजित निबंधन उप-जिला लोनी द्वितीय, में सम्मिलित किये गये राजस्व ग्रामों की सूची :-

01	बादशाहपुर सिरौली	11	अफजलपुर
02	जाफराबाद गनौली	12	टीला शहबाजपुर
03	मेवला भट्टी	13	शरफुद्दीनपुर जांवली
04	धारीपुर	14	शरीफाबाद राजपुर
05	सिरोरा सलेमपुर	15	औरंगाबाद रिस्तल
06	अहमदनगर नया बांस	16	कोतवालपुर
07	मुर्तजाबाद भूपखेड़ी	17	शकरपुला
08	बन्थला	18	अफजलनगर सीती
09	धरौटी खुर्द	19	पचायरा
10	निस्तौली	20	नौरसपुर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

21	अल्लीपुर	25	असालतपुर
22	चिरौड़ी	26	भनैड़ा खुर्द
23	सिखरानी	27	महमूदपुर
24	फतियाबाद निठौरा	28	नरायननगर उर्फ रामपुर

राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी न्यायालय, जिसने अभी तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया हो, में पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,

वीना कुमारी
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-16/2021/953/94-1-2021-312(83)/2015-लोनी-2 दिनांक: 08 नवम्बर, 2021

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 08 नवम्बर, 2021 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव।

संख्या-16/2021/953/94-1-2021-312(83)/2015-लोनी-2 दिनांक: 08 नवम्बर, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उ०प्र० कानपुर।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उ०प्र० लखनऊ।
6. मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
7. महानिरीक्षक निबंधन, उ०प्र० लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
9. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), पदेन जिला निबंधक, गाजियाबाद।
10. उप महानिरीक्षक निबंधन, मेरठ मण्डल, मेरठ।
11. सहायक महानिरीक्षक निबंधन, गाजियाबाद।
12. विधायी अनुभाग-1/भाषा अनुभाग-5 ।
13. गार्ड फाइल।

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan

Stamp Evam Registration Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 16/2021/953 /94-1-2021-312(83)/2015-Loni-2 dated : 08 November, 2021

No: 16/2021/953/94-1-2021-312(83)/2015-Loni-2

Lucknow, Dated : 08 November, 2021

NOTIFICATION

In exercise of the powers under sections 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in partial modification of earlier notifications issued in this behalf the Governor is pleased to;

(1) alter the limits of registration sub-district Sadar third, fourth and fifth of district Ghaziabad by excluding the areas of revenue villages given in the said Schedule; and

(2) Create a new registration sub-district Loni second in district Ghaziabad by including erstwhile revenue villages given in the Schedule below.

with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

SCHEDULE

List of revenue villeges excluded from registration sub district Sadar third, fourth and fifth of district Ghaziabad, and included in the newly created registration sub district Loni second in district Ghaziabad:-

1	Badshahpur Siroli	11	Afjalpur
2	Jafrabad Ganoli	12	Tila Shahbajpur
3	Mevla Bhatti	13	Sharfuddinpur Javli
4	Dharipur	14	Sharifabad Rajpur
5	Sirora Salempur	15	Aurangabad Ristal
6	Ahamadnagar Naya Baas	16	Kotwalpur
7	Murtazabad Bhupkheri	17	Shakarpula
8	Banthla	18	Afjalnagar Siti
9	Dhrauti Khurd	19	Pachayara
10	Nistoli	20	Noraspur

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

21	Allipur	25	Asalatpur
22	Chirodi	26	Bhanaida Khurd
23	Sikhrani	27	Mahmudpur
24	Fatiyabad Nithora	28	Narayannagar urf Rampur

The Governor further directs that any effects of this notification in any law court, which has used its jurisdiction in relation to the said areas, will not be initiated on any preliminary proceeding or any legal proceeding in question.

By order,

Veena Kumari
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।